बिहार सरकार
कृषि (भूमि संरक्षण) विभाग,
बिहार, पटना।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना BGREI Sub Plan अन्तर्गत पक्का चेक डैम एवं सामुदायिक/निजी बोरवेल निर्माण हेतु कार्यान्वयन अनुदेश।

---

1 :– कार्यमद एवं लागत मूल्य

योजनान्तर्गत स्थलीय विशिष्ट आवश्यकता को घ्यान में रखते हुए जल संचयन हेतु पी0सी0डी0 एवं सामुदायिक/निजी बोरवेल का निर्माण कराया जायेगा।

20 फिट आकार के पी0सी0डी0 का ईकाई लागत 6.273 लाख रु0 / निजी बोरवेल का कुल ईकाई लागत 0.659 लाख रु0 (अनुदान की राशि अधिक्तम 0.30 लाख रु0) / सामुदायिक बोरवेल की कुल ईकाई लागत 2.285 लाख रु0 निर्धारित है।

2 :– स्थल के चयन की प्रक्रिया :–

1) जलग्रहण क्षेत्र के अन्तर्गत Drainage line / कैनाल के टेल इण्ड के Lower Reaches में ही कमांड क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए यथासंभव पी0सी0डी0 निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल का चयन किया जायेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्षा जल/नहर का बर्बाद पानी इकट्ठा हो एवं फसलों के जीवन रक्षा में 2–3 सिंचाई हेतु उपयोग हो सके।
2) वैसे जिले जहॉ सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी पदस्थापित है में स्थल चयन का कार्य उनके द्वारा किया जायेगा। वैसे जिले जहॉ भूमि संरक्षण की ईकाई वर्तमान में कार्यरत नही है के जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा अधिनस्थ पदाधिकारियों से स्थल चयन का कार्य कराया जायेगा। योजना स्थल का अन्तिम रुप से अनुमोदन उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण/जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर से किया जायेगा।
3) चयनित सभी स्थलों का कार्य आरंभ करने के पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्णता के बाद अक्षांश/देशान्तर युक्त date time stamped Photo योजना अभिलेख में संधारित किया जायेगा।

3 :– योजना का कार्यान्वयन एवं भुगतान की प्रक्रिया

1) बांका/मुगेर/बेगूसराय/जमुई/नवादा/गया/औरंगाबाद/रोहतास/कैमूर/पटना/सारण/शिवहर/वैशाली/जहानाबाद/अरवल/शेखपुरा/लखीसराय/नालन्दा/भागलपुर/भोजपुर/बक्सर/खगड़िया एवं पश्चिमी चम्पारण में योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।
2) स्थल विशेष की आवश्यकता के अनुसार तकनीकी रुप से उपयुक्त कार्यमद का चयन कर योजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा।
3) योजनान्तर्गत पी0सी0डी0 एवं सामुदायिक बोरवेल का निर्माण लाभुक समूह के द्वारा चयनित सदस्य के द्वारा कराया जायेगा। निजी बोरवेल के किसानों का चयन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किया जायेगा।
4) बोरवेल के लिए किसानों को जिला कृषि पदाधिकारी जिला स्तरीय उप निदेशक भूमि संरक्षण/सहायक निदेशक भूमि संरक्षण अथवा इन पदाधिकारियों के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मी के यहॉ आवेदन समर्पित करना होगा। आवेदक को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराया जायेगा। प्राप्त आवेदन एवं स्थल जॉच के उपरान्त आवेदक को कार्य कराने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूर्ण कराने के उपरान्त जिला कृषि पदाधिकारी अथवा जिला स्तरीय उप निदेशक भूमि संरक्षण/सहायक निदेशक भूमि संरक्षण अथवा इन पदाधिकारियों के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा आवेदक से प्राप्त भुगतान दावा पत्र के आलोक में किये गये कार्यो का भौतिक सत्यापन कर RTGS/NEFT के माध्यम से अनुदान का भुगतान कृषकों के बैक खाता में उनसे प्राप्त भुगतान दावा पत्र के 10 दिनों के अन्दर किया जायेगा।

5) वैसे जिले जहॉ IWMP / अन्य भूमि संरक्षण की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है में मापी का कार्य सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी/जलछाजन विकास दल अभियंता द्वारा किया जायेगा। अन्य जिलो में मापी का कार्य जिला पदाधिकारी द्वारा अधिकृत कार्य विभाग के कनीय अभियंता द्वारा किया जायेगा। इसके निमित सम्बंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त की जायेगी।
6) वैसे जिले जहॉ सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी पदस्थापित है वे योजना का कार्य करायेंगे। शेष जिले जहॉ भूमि संरक्षण की ईकाई वर्तमान में कार्यरत नही है के जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा नामित उनके अधिनस्थ सरकारी पदाधिकारियों से योजना का कार्य कराया जायेगा।
7) सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण/जिला कृषि पदाधिकारी योजना कार्यान्वयन पदाधिकारी होंगे।
8) उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण/जिला कृषि पदाधिकारी योजना के जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी होंगे, जो योजना के अनुश्रवण के प्रति उत्तरदायी होंगे।

- ❖ योजना अभिलेख में नक्शा पर सम्बंधित जलग्रहण क्षेत्र एवं कमाण्ड क्षेत्र सीमा का रेखांकन करते हुए संधारित किया जायेगा।
- ❖ योजना स्थल पर एक सूचना पट लगाया जायेगा जिसमें योजना का नाम, योजना संख्या, आकार, प्राक्कलित राशि, अनुदान की राशि, ग्राम/पंचायत/प्रखंड का नाम आदि स्पष्ट रुप अंकित किया जायेगा।
- ❖ कार्यादेश निर्गत होने के उपरान्त 7 (सात) दिनों के अन्दर कार्य प्रारंभ किया जायेगा तथा अधिक्तम एक माह के अन्दर योजना का कार्य पूर्ण किया जायेगा।
- ❖ योजना का अन्तिमीकरण/अभिलेख बन्द करने की कार्रवाई के पूर्व कमाण्ड क्षेत्र के लाभुक/कृषक की एक समिति बनाई जायेगी तथा इसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाने एवं बेहतर रखरखाव हेतु उन्हे सुझाव दिया जायेगा। निर्माण के पश्चात वास्तविक कमाण्ड क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि में वृद्धि एवं फसल उत्पादन में हुई वृद्धि से सम्बंधित सूचना भी सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण/जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा संधारित कराया जायेगा।

ह0/–
निदेशक भूमि संरक्षण,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/कृ.नि.भू.सं.(येा.)08/2016– भूमि संरक्षण, पटना, दिनांक

प्रति : उप निदेशक (रसायन) गण नियंत्रण –सह– प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/उप निदेशक (शष्य) योजना, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण दक्षिणी बिहार परिक्रम, पटना/सम्बंधित सभी जिला स्तरीय उप निदेशक भूमि संरक्षण/ सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी/सम्बंधित सभी सहायक निदेशक (शष्य), भूमि संरक्षण/सभी सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि वर्णित कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

ह0/–
निदेशक भूमि संरक्षण,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 11/कृ.नि.भू.सं.(येा.)08/2016– 58 भूमि संरक्षण, पटना, दिनांक 25.01.2017

प्रति : उप निदेशक (सूचना) कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/– 25.1.17
निदेशक भूमि संरक्षण,
बिहार, पटना।
24.1.17